सं: एस-18/10/2015-एसबीएम

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) प्रभाग

चौथी मंजिल, पर्यावरण भवन,

सीजीओ कांम्पलैक्स, लोधी रोड

नई दिल्ली-110003

दिनांक: 20 जुलाई, 2015

सेवा में

सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों के ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी प्रधान सचिव

विषय: स्पष्टीकरण कि रू. 12,000/- प्रोत्साहन राशि है, शौचालय की प्रतिपूर्ति की लागत नहीं।

महोदय/महोदया,

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को कुछ राज्यों से भौगोलिक लोकेशनों या कुछ अन्य कारणों से विभिन्न तकनीकी विकल्पों को अपनाने जैसे विभिन्न कारणों से समय-समय पर आईएचएचएल और सामुदायिक शौचालयों की यूनिट लागत को बढ़ाने की मांग से संबंधित अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं।

2. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ने व्यावहारिक परिवर्तन पर स्पष्ट ध्यान दिया है। आप मानेंगे कि खुले में शौच को रोकने के बारे में किसी व्यक्ति या किसी समुदाय द्वारा सोचना और उसके बाद शौचलयों का निर्माण करना और उनका उपयोग करना पूर्ति-चालित सोच से अधिक महत्वपूर्ण है।

3. यह भी नोट किया जाए कि एसबीएम-जी गाइडलाइंस केवल किसी पात्र व्यक्ति जिसने शौचालय बनवाया है, को उपलब्ध कराई जाने वाली केवल प्रोत्साहन का ही विशेष रूप से उल्लेख करता है। इसका उद्देश्य शौचालय की पूरी लागत उपलब्ध कराना नहीं है जो विभिन्न तत्वों पर निर्भर रहते हुए इस प्रोत्साहन राशि से कम या अधिक हो सकती है। दूसरा कारण यह है कि स्वच्छता प्राथमिक रूप से एक व्यवहार संबंधी मामला है जिसे अपनी बेहतरी के लिए लोगों द्वारा स्वयं सुलझाया जाना है। सरकार का कार्य प्रोत्साहन देकर और इस व्यवहार संबंधी बदलाव को लाने में सहायता करके इस सकारात्मक परिवर्तन को लाना है।

4. राज्य सरकारें एसबीएम(जी) के अलावा अन्य स्रोतों से घरेलू शौचालय के लिए इससे अधिक प्रोत्साहन दे सकती हैं।

भवदीय

सरस्वती प्रसाद

(सरस्वती प्रसाद)
संयुक्त सचिव (स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण)
दूरभाष सं0 24362705

प्रतिलिपि:-

1. राज्य समन्वयक- एसबीएम(जी), सभी राज्य/संघ क्षेत्र
2. तकनीकी निदेशक (एनआईसी) को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए